बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः- 333473 ग्रा०वि०, पटना, दिनांकः- 16.10.17

ग्रा०वि०-10/बजट- 06/2017

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
पटना ।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में "बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना" के अंतर्गत राशि का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2017-18 में "बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना" के 01 03 जीवन यापन भत्ता के अंतर्गत कुल रूपये 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है ।

2) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998, 428 दिनांक 31.03.17 एवं 3002 दिनांक 26.04.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

3) विभागीय अधिसूचना संख्या 290250 दिनांक 08.11.16 द्वारा श्री विनोद कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोंच, गया के निलंबन अवधि में निर्धारित किये गये मुख्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना को उनके जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान हेतु राशि आवंटित की जा रही है । उल्लेखनीय है कि सी.डब्लू.जे.सी. संख्या- 4960/17 में पारित आदेश के आलोक में यह राशि आंवटित की जा रही है ।

4) इस आवंटित राशि का उपावंटन नहीं किया जाय और आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही की जाय । यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

5) आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप विकास आयुक्त, पटना होंगे और राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।

6) कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ंग से हो सके ।

7) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके । इस आवंटन के विरूद्ध वास्तविक व्यय का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान किया जाय ताकि विभागीय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आंकड़ों में भिन्नता न हो ।

8) किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः सतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ।

9) इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है ।

10) आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

11) इसकी मांग संख्या 42 एवं विपत्र कोड संख्या 42-2515001020001 है ।

12) इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राधा किशोर झा)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 333473 ग्रा.वि.वि., पटना, दिनांक:- 16.10.17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार / जिला पदाधिकारी, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना / आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव